भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 536

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

†536. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

श्री विद्युत बरन महतोः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री प्रतापराव जाधवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई / की जा रही विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार कितनी बजट राशि निर्धारित की गई है;

(ग) देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसा कोई राज्य है जिसने अभी तक इस नीति को लागू नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश के सभी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अन्य और क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को व्यवसाय / कौशल-उन्मुख बनाने का कोई विचार है, ताकि बारहवीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को रोजगार मिल सके;

(छ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता शुरू करने से विद्यालय छोड़ने की दर में काफी कमी आ सकती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 **(**एनईपी **2020)** के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में**,** स्कूल शिक्षा में कई पहलें शुरू की गई हैं जैसे ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान (निपुण भारत) के लिए राष्ट्रीय दक्षता पहल**,** विद्या-प्रवेश- तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल संबंधी दिशानिर्देश**;** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा**;** निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0**,** 2.0 और 3.0 शैक्षणिक प्रबंधन में शिक्षकों**,** प्रमुख शिक्षकों/प्रधानाचार्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**;** ग्रेड 3**,** 5 और 8 आदि के लिए सीबीएसई स्कूलों में दक्षता-आधारित मूल्यांकन हेतु सफल (अधिगम स्तरों का विश्लेषण करने के लिए संरचनाबद्ध मूल्यांकन)।

इसी तरह, उच्चतर शिक्षा में विभिन्न पहलें/सुधार किए गए हैं जैसे अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी); शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक से अधिक प्रवेश/निर्गम; उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को बहुविषयक संस्थाओं में रूपांतरित करना; कॉमन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा; इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम; ऑनलाइन और ओडीएल शिक्षा; क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम; टिविनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अकादमिक सहयोग; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करना; उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठों की स्थापना; प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस; स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क, आदि

(ख): मंत्रालय के कुल बजट आवंटन का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

बजट आवंटन का विवरण	
वित्तीय वर्ष	**कुल बजट आवंटन**
2020-21	99311.52
2021-22	93224.31
2022-23	104277.72

(**ग**) **से** (**ड.**): राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** की घोषणा के बाद**,** शिक्षा मंत्रालय**,** अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों**,** राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं उनके अधीन क्रियान्वयन एजेंसियों ने एनईपी **2020** के क्रियान्वयन की दिशा में पहल शुरू की है। क्रियान्वयन के दौरान**,** कुछ राज्यों ने एनईपी**,** **2020** से संबंधित कुछ मुद्दों पर अपनी समस्याएँ व्यक्त की थीं। उनकी समस्याओं को दूर करने

और एनईपी क्रियान्वयन हेतु नवाचारी विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए भी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की श्रृंखला आयोजित की गई है।

(**च**): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' की परिधि के तहत स्कूल शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की पहल क्रियान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सामान्य अकादमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना; छात्रों की नियोजनीयता और उद्यमशील क्षमताओं को बढ़ावा देना; काम के माहौल का एक्सपोजर; और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना; ताकि वे अपनी अभिरुचियों, क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुसार चयन करने में सक्षम हो सकें। योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। योजना के तहत, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, समग्र शिक्षा की मौजूदा योजना को पुन: तैयार किया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नए कार्यकलापों को भी शामिल किया गया है। उनमें से कुछ निम्नानुसार है:-

- सरकारी स्कूलों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की कवरेज का विस्तार किया गया है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नजदीकी स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा हब स्कूलों में उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग के लिए व्यावसायिक शिक्षा का हब एंड स्पोक मॉडल प्रस्तुत किया गया है।
- उच्चतर प्राथमिक स्तर पर प्री-व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोजर।
- समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत इंटर्नशिप, बैगलेस दिनों आदि को शामिल किया गया है।

(**छ**) **और** (**ज**): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कक्षा **I-VIII** में पढ़ने वाले बच्चे अथवा 6-14 वर्ष के आयु समूह वाले बच्चे स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल के अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन नि:शुल्क एक मध्याह्न भोजन के हकदार है जिससे अधिनियम में उल्लिखित पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। तद्नुसार, पीएम पोषण योजना (पूर्व में स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था) के तहत स्कूल के सभी कार्य दिवसों में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। योजना में निम्नलिखित पोषण सामग्री निर्धारित किए गए हैं: -

घटक	**प्राथमिक**	**उच्च प्राथमिक**
कैलोरी	450 कैलोरी	700 कैलोरी
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम

योजना में नाश्ते का कोई प्रावधान नही है। तथापि कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से छात्रों के अतिरिक्त वस्तुएं जैसे दूध, अंडे फल आदि उपलब्ध कराते हैं।

***